पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25–11–2022

दिनांक 24/25–11–2022 को रात्रि थाना गाजीपुर 02, थाना काकोरी 01, थाना माल 01, थाना मड़ियांव 01, थाना तालकटोरा 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना गोमतीनगर विस्तार–दिनांक गोमतीनगर विस्तार द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.11.2022 को थाना गोमतीनगर विस्तार द्वारा बताया गया कि श्रीमती आभा मिश्रा पत्नी राकेश कुमार मिश्रा निवासी–538ए/90 त्रिवेणी द्वितीय थाना अलीगंज लखनऊ ने थाना गोमतीनगर विस्तार पर सूचना दिया कि उसकी छोटी बहन वन्दना मिश्रा उम्र करीब 38 वर्ष पुत्री स्व0 डॉ0 राजेन्द्र फ्लैट नं0–1101जी गंगा अपार्टमेन्ट थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में माँ विद्यावती मिश्रा, चाचा चाची के साथ रह रही थी, जो तनाव में रहती थी। दिनांक 24.11.2022 को समय करीब 09.30 बजे रात्रि में उसकी बहन वन्दना मिश्रा उपरोक्त ने पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अरूण कुमार यादव मो0नं0 9554242411 थाना गोमतीनगर विस्तार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतका का करीब 01 वर्ष पहले तलाक हो चुका था जिसकी वजह से डिप्रेशन में रहती थी।**

थाना गोमतीनगर विस्तार–दिनांक 25.11.2022 को थाना गोमतीनगर विस्तार द्वारा बताया गया कि वादी श्री जयप्रकाश चौधरी पुत्र चन्द्रभान चौधरी निवासी–प्लाट नं0 3, खसरा नं0 234 हर्ष विबार कालोनी तकरोही थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर विस्तार पर सूचना दिया कि वादी की दुकान (विकास मोबाइल शॉप) मकान नं0 17/18 चौधरी मार्केट, गीतापुरी चौराहा खरगापुर थाना गोमतीनगर विस्तार में स्थित है। दिनांक 22.11.2022 एवं 23.11.2022 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी की उक्त दुकान का शटर तोड़कर 28 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन व 13000/–रूपये नगद को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर विस्तार पर मु0अ0सं0 285/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना बन्थरा–दिनांक 25.11.2022 को थाना बन्थरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री रवि पुत्र स्व0 नन्दकिशोर निवासी–ग्राम भदोही थाना बन्थरा लखनऊ ने थाना बन्थरा पर सूचना दिया कि दिनांक 24.11.2022 को उसके बड़े भाई संजय कुमार उम्र करीब 42 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल सुपर स्पलेन्डर से अपने मित्र बिसम्भर पुत्र स्व0 भगाने निवासी भदोही को पीछे बैठाकर ईंटगांव बाजार करके घर वापस आ रहे थे कि समय करीब 06.00 बजे शाम को गांव के ही सामुदायिक बारात घर के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर नं0 यूपी 32 जीपी 1169 महेन्द्रा रंग लाल जिसकी ट्राली में ईंट लदी हुयी थी, के चालक द्वारा ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर वादी के भाई संजय कुमार के मोटरसाइकिल में टक्कर मार दियाए जिससे वादी का भाई गम्भीर रूप से घायल हो गया, और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गयी। उक्त अज्ञात ट्रैक्टर चालक मौके से ट्रैक्टर लेकर भाग गया। वादी अपने भाई संजय कुमार को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पास के ही जी0एस0आर0एम0 अस्पताल में ले गये, जहां पर डाक्टरों ने वादी के भाई संजय कुमार उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर मु0अ0सं0 342/2022 धारा 279/338/427/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**